

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12 (7) राज/वाद/2024*पार्ट

जयपुर, दिनांक: 12/09/25

:: परिपत्र ::

विषय- सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त नोटिसों और न्याय मांग नोटिसों/अभ्यावेदनों का सकारण जवाब/प्रत्युत्तर समयबद्ध दिया जाकर निस्तारित करने बाबत।

विधि विभाग के समेकित परिपत्र दिनांक 19.03.2010 के भाग-1 और राजकीय वादकरण नीति-2018 के अध्याय-11 में 80 सी.पी.सी. नोटिस, न्याय की मांग के नोटिस के उचित निपटान के निर्देश हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुक्रम में, राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों में भी 80 सी.पी.सी. के नोटिस व न्याय की मांग के लिए अन्य नोटिस के उचित निपटान के निर्देश हैं।

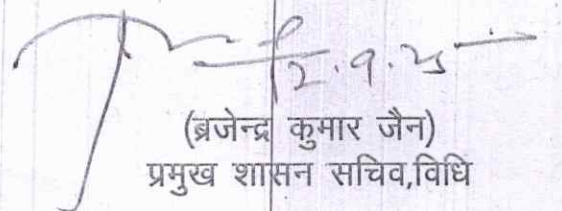
एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में जन हितार्थ राज व्यवस्था है और राज्य के विरुद्ध वादकरण की संख्या को लघुतम स्तर पर रखना राजकीय नीति है। जिसके क्रम में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 तथा अन्य अधिनियमों में राज्य के विरुद्ध कोई भी वाद दायर करने से पूर्व नोटिस दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण दायर हो, उससे पूर्व ही नोटिस/न्याय मांग नोटिस व अभ्यावेदन पर युक्तियुक्त विचार कर वांछित अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य हो, तो उस पर विचार कर लिया जाये और जहां तक सम्भव हो सके, व्यक्तियों की परिवेदनाओं, शिकायतों एवं वादकारणों का निराकरण न्यायालय में प्रकरण दायर होने से पूर्व ही कर लेना अति आवश्यक है तथा राज्य सरकार के विरुद्ध दायर होने वाले न्यायिक प्रकरणों की संख्या को न्यून करने और प्रशासनिक स्तर पर ही नियमानुसार/न्यायसंगत और तर्कपूर्ण देय अनुतोष स्वीकृत करने और संबंधित को सूचित किया जाना आवश्यक है ताकि अनावश्यक रूप से राज्य के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में वृद्धि नहीं हो व राज्य पर अनावश्यक वित्तीय भार भी नहीं आये।

प्रशासनिक विभागों का यह दायित्व है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 अथवा न्याय की मांग हेतु नोटिस/अभ्यावेदन या अन्य कोई भी प्री-लिटीगेशन नोटिस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके, गुणावगुण के आधार पर नोटिस/अभ्यावेदन का सकारण निस्तारण करे और उक्त की मासिक समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जाये।

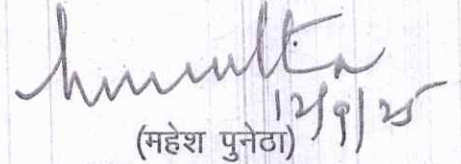
माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील सं. 4311/2025 (एस.एल.पी. संख्या 3324/2015) YERIKALA SUNKALAMMA AND ANR. V/S STATE OF ANDHRA PRADESH DEPARTMENT OF REVENUE AND ORS. में अपने निर्णय दिनांक 24 मार्च 2025 में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के अन्तर्गत प्रदत्त नोटिस और न्याय मांग नोटिस/अभ्यावेदनों का सकारण जवाब/प्रत्युत्तर सहित समयबद्ध निस्तारित नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया है।

अतः उक्त निर्णय के क्रम में विधि के प्रावधानों तथा राजकीय वादकरण नीति-2018 और राजकीय वादकरण के समुचित संचालन के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित कर लेख है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के अन्तर्गत प्रदत्त नोटिस और न्याय मांग नोटिस/अभ्यावेदनों का सकारण जवाब/प्रत्युत्तर समयबद्ध दिया जाकर निस्तारण करें और उक्त की मासिक समीक्षा एवं मॉनिटरिंग प्रशासनिक विभाग व विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जाना भी सुनिश्चित किया जावे।


(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. महाधिवक्ता, राजस्थान।
3. रजिस्ट्रार(प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक Gen/XIX/Misc/727/2025/1384 दिनांक 05-08-25 के क्रम में।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर/जयपुर/नई दिल्ली।
9. राजकीय अधिवक्ता मय अति० महाधिवक्ता, जोधपुर/जयपुर।
10. प्रशासक वादकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/पीठ जयपुर
- ✓ 11. एनालस्टि कम प्रोगामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।



(महेश पुनेठा)
विशिष्ट शासन सचिव,